प्रेस विज्ञप्ति

28.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत महेंद्र शाह, मेघ शाह और उनके सहयोगियों से जुड़े अहमदाबाद में विभिन्न स्थानों पर उस मामले से संबंधित तलाशियाँ ली हैं जिसमें डीआरआई, अहमदाबाद और एटीएस, गुजरात ने पहले एक संयुक्त छापेमारी की थी, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 88 किलोग्राम सोना (जिसमें से लगभग 52 किलोग्राम सोने में दुबई, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड से जुड़े विदेशी चिह्न थे), लक्जरी घड़ियां, हीरे के आभूषण और 1.37 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए थे।

ईडी, अहमदाबाद द्वारा फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत की गई तलाशी के परिणामस्वरूप 23 लाख रुपये नकद और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।